(बी) अर्धसैनिक बलों के अलावा किसी भी पुलिस संगठन में पुलिस ड्यूटी (जो कि प्रशासनिक कार्य में शामिल नहीं है) में लगे होने से उत्पन्न हो. यह अपवर्जन लागू नहीं होता है, जहाँ पुलिस ड्यूटी में संलग्न रहने के दौरान दुर्घटना से होने वाला दुर्घटना मृत्यु लाभ बीमा रक्षित करने का विकल्प चुना गया है; या

(v) जीवन बीमित की दुर्घटना की तिथि से 180 दिनों के बाद होती है.

आकस्मिक दावे के लिए सामान्य आवश्यकताएँ:

आकस्मिक मृत्यु के दावे पर विचार करने के लिए, जिन परिस्थितियोंमें मृत्यु हुई है, उसकापता लगाने के लिए निम्नलिखित सूची से लागू विवरणों की माँग की जा सकती है जिसमें:–

1) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की प्रमाणित प्रति.

2) पुलिस अन्वेषण रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति.

3) पंचनामे की प्रति

4) मृत्युका संभावित कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट. यदि पोस्ट–मार्टम में विसरा संरक्षित किया गया है, तो सामग्री जानने के लिए, अर्थात, क्या जीवन बीमित ने शराब, नशीली दवाओं, नशीले पदार्थों या जहर का सेवन तो नहीं किया था,

5) समाचार पत्र की कतरन जहाँ दुर्घटना की सूचना दी गई है.

6) यदि मृत्यु वाहन दुर्घटनाके कारण होती है, तो ड्राइविंग लाइसेंस की प्रतिलिपि, यदि जीवन बीमित वाहन चला रहा था.

7) मृत्यु के बारे में उप–संभागीय मजिस्ट्रेट का अंतिम निर्णय – यह मृत्यु को 'प्राकृतिक/आत्महत्या/आकस्मिक' का वर्गीकरण प्रदान करेगा.

8) जब पुलिस अधिकारियों को दुर्घटना सूचित नहीं की जाती है, जैसे कुत्ते या साँप के काटने की वजह से मृत्यु, तो वैकल्पिक प्रमाण जैसे कि प्रत्यक्षदर्शी का बयान, ग्रामसेवक या सरकारी अधिकारियों का हलफनामा, हमारी अपनी जाँच रिपोर्ट, देखने वाले चिकित्सक या अस्पताल की रिपोर्ट पर्याप्त होगी.

9) अस्पताल का उपचार रिकॉर्ड, आदि

(b) arise from being engaged in police duty (which excludes administrative assignments) in any police organization other than paramilitary forces. This exclusion is not applicable where the option to cover Accidental Death Benefit arising on accident while engaged in police duty, has been chosen; or

(v) occur after 180 days from the date of accident of the Life Assured.

Normal requirements for accidental claim:

For considering accidental death benefit claim, the applicable statements from the following list may be called to ascertain circumstances under which death took place:-

1) A certified copy of first information report (FIR).

2) A certified copy of police inquest report.

3) Copy of panchanama.

4) Post mortem report to know the probable cause of death. If viscera is preserved in post mortem, then chemical analyzer report to know the contents i.e. whether life assured has consumed liquor, drugs, narcotics or poison.

5) News paper cuttings where accident is reported.

6) If death is due to vehicle accident, then copy of driving licence, if life assured was driving the vehicle.

7) Sub-divisional magistrate final verdict about death- this will give classification of death as 'natural/suicide/accidental'

8) When accident is not reported to police authorities, like death due to dog or snake bite, then alternate proofs such as statement of eye witness, affidavit of gramsevak or govt. officials, our own enquiry report, attending physician or hospital reports may be sufficient.

9) Hospital treatment records.

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

(Established by the Life Insurance Corporation Act, 1956)

एलआईसी के दुर्घटनात्मक मृत्यु हितलाभ राइडर (UIN: 512A211V02)

LIC's Linked Accidental Death Benefit Rider (UIN: 512A211V02)

यह दस्तावेज मूल पॉलिसी का एक पृष्ठांकन है, जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है और जो पॉलिसी का एक भाग समझा जाएगा.

लाभ जैसे कि निम्नलिखित अनूसूची में वर्णित हैं, मूल पॉलिसी के अंतर्गत देय होंगे और वे मूल पॉलिसी में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त यहाँ उल्लेखित शर्तों के अधीन होंगे, जब तक उन्हें निर्दिष्ट रूप से बाहर न रखा जाए.

This DOCUMENT is an endorsement to the Base Policy, details of which are given in the schedule and which shall be deemed as part of the policy.

The benefits as stated in the following Schedule are in addition to the benefit payable under the base policy and shall be subject to the Conditions mentioned herein in addition to those of the base policy unless specifically excluded.

मण्डल कार्यालय / DIVISIONAL OFFICE: **तालिका / SCHEDULE** **शाखा कार्यालय / BRANCH OFFICE:**

पॉलिसी सं.: Policy Number:	एलआईसी के लिंक्ड दुर्घटनात्मक मृत्यु हितलाभ राइडर के आरंभ होने की तिथि: Date of commencement of LIC's Linked Accidental Death Benefit Rider:
बीमित व्यक्ति का नाम: Name of Life Assured:	जोखिम के आरंभ होने की तिथि: Date of commencement of risk:
दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि (₹): Accident Benefit Sum Assured (Rs):	एलआईसी के लिंक्ड दुर्घटनात्मक मृत्यु हितलाभ राइडर की समाप्ति की तिथि: Date of termination of LIC's Linked Accidental Death Benefit Rider:

दिनांक / Date:

जांचकर्ता / Examined by:

कृते प्रमुख / वरिष्ठ / शाखा प्रबंधक
p. Chief / Sr./ Branch Manager

एलआईसी के दुर्घटना लाभ हितलाभ की शर्तें निम्नानुसार हैं:

इस पॉलिसी के प्रयोजन के लिए 'दुर्घटना' को **''दुर्घटना बाह्य, उग्र और दृश्यमान साधनों के कारण अचानक, अप्रत्याशित और अनेच्छिक रूप से होने वाली घटना''** के रूप में परिभाषित किया गया है.

यदि एलआईसी के संबद्ध दुर्घटना मृत्यु लाभ हितलाभ को चुना जाता है, और यदि जीवन बीमित व्यक्ति संपूर्ण मूल बीमाकृत राशि के लिए यह पॉलिसी प्रभावी होते हुए किसी भी समय दुर्घटना से संबद्ध होता/होती है, और ऐसी चोट के परिणामस्वरूप इसके होने के 180 दिन के भीतर अन्य सभी कारणों से स्वतंत्र होकर एवं समग्र व प्रत्यक्ष रूप से जीवन बीमित की मृत्यु होती है और यह निगम के संतुष्ट होने तक सिद्ध होता है, तो निगम इस पॉलिसी के अंतर्गत दुर्घटना लाभ बीमाकृत राशि के बराबर एक अतिरिक्त राशि का भुगतान करने हेतु सहमत होता है. यद्यपि इस पॉलिसी को दुर्घटना के समय पर प्रभावी होना चाहिए, चाहे वह मृत्यु के समय पर प्रभावी हो या न हो.

यह हितलाभ अवयस्क के जीवन पर, उसकी अवयस्कता के दौरान पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध नहीं होगा. यद्यपि, यदि निगम के बीमांकन के नियमों के अनुसार योग्य पाया जाता है तो विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात आने वाली पॉलिसी वर्षगाँठ से यह हितलाभ उपलब्ध होगा.

उपरोक्त के अधीन होकर, एक प्रभावी पॉलिसी के अंतर्गत, एलआईसी के संबद्ध दुर्घटना मृत्यु लाभ हितलाभ को पॉलिसी अवधि के भीतर किसी भी पॉलिसी वर्षगाँठ पर चुना जा सकता है, लेकिन उस पॉलिसी वर्षगाँठ पर या उससे पहले जिस पर जीवन बीमित व्यक्ति के निकटतम जन्मदिन की आयु 65 वर्ष है, जो कि न्यूनतम हितलाभ अवधि 5 वर्ष होने के अधीन है. जब भी इस पॉलिसी के अंतर्गत इस हितलाभ को चुना गया है, यह बीमा–सुरक्षा परिपक्वता की तिथि तक या पॉलिसी वर्षगाँठ तक उपलब्ध होगी, जिस पर जीवन बीमित के निकटतम जन्मदिन की आयु 70 वर्ष है, जो भी पहले हो, बशर्ते पॉलिसी दुर्घटना की तिथि पर प्रभावी हो.

जब भी इस हितलाभ को चुना गया है, इस लाभ को उपलब्ध करवाने हेतु दुर्घटना लाभ शुल्क (जैसा नीचे वर्णन है) की कटौती की जाएगी:

- पॉलिसी अवधि के दौरान, उस मूल पॉलिसी, जिससे यह हितलाभ संलग्न है, के नियमों व शर्तों के अनुसार जब तक यह पॉलिसी प्रभावी है; या
- उस वर्षगाँठ तक, जिस पर जीवन बीमित व्यक्ति के निकटतम जन्मदिन की आयु 70 वर्ष है.

जो भी पहले हो.

एक प्रभावी मूल पॉलिसी के अंतर्गत, एक पॉलिसी धारक के पास पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय इस हितलाभ को निरस्त करने का विकल्प होता है. हालाँकि, एक बार हितलाभ निरस्त हो जाने के बाद, इसे पॉलिसी अवधि के दौरान फिर से नहीं चुना जा सकता है.

मूल पॉलिसी प्रभावी नहीं होने की स्थिति में, यह हितलाभ बीमा–सुरक्षा समाप्त हो जाएगी और इस हितलाभ के लिए किन्हीं आगामी शुल्कों की कटौती नहीं होगी. यद्यपि, यह हितलाभ पुनर्चलन अवधि के दौरान मूल पॉलिसी के साथ पुनर्चलित की जा सकती है, लेकिन अलग से नहीं.

दुर्घटना लाभ शुल्क : यह शुल्क एलआईसी के संबद्ध दुर्घटना मृत्यु लाभ हितलाभ (यदि इसे चुना गया हो) की लागत वसूल करने के लिए है, जिसे हर पॉलिसी माह के प्रारंभ में पॉलिसी धारक के निधी मूल्य की युनिटों की उपयुक्त संख्या निरस्त कर भारित किया जाता है. एक समान वार्षिक शुल्क प्रति पॉलिसी वर्ष प्रति हज़ार दुर्घटना लाभ बीमाकृत राशि

The Conditions of LIC's Linked Accidental Death Benefit Rider:

An Accident for the purpose of this policy is defined as **"An Accident is a sudden, unforeseen and involuntary event caused by external, violent and visible means."**

If LIC's Linked Accidental Death Benefit rider is opted for, and if the Life assured is involved in an accident at any time when this Policy is inforce for the full Basic Sum Assured, and such injury shall within 180 days of its occurrence solely, directly and independently of all other causes result in death of the Life assured and the same is proved to the satisfaction of the Corporation, the Corporation agrees to pay an additional sum equal to the Accident Benefit Sum Assured under this policy. However, the policy shall have to be inforce at the time of accident irrespective of whether or not it is in force at the time of death.

This rider will not be available under the policy on the life of minors, during minority. However, this rider will be available from the policy anniversary following completion of age 18 years on receipt of specific request, if found eligible as per the underwriting rules of the Corporation.

Subject to as stated above, under an inforce policy, the LIC's Linked Accidental Death Benefit Rider can be opted for at any policy anniversary within the policy term but on or before the policy anniversary on which the age nearer birthday of the Life Assured is 65 years, subject to minimum rider term of 5 years. Wherever this rider has been opted for under the policy, the cover will be available till the Date of Maturity or till the policy anniversary on which the age nearer birthday of the Life Assured is 70 years, whichever is earlier, provided the Policy is inforce as on date of accident.

Whenever this Rider is opted for, the Accident Benefit charges (as detailed below) for providing this benefit will be deducted:

- during the policy term, as long as the policy is inforce as per terms and conditions of the base policy to which this Rider is attached; or
- till the anniversary on which the age nearer birthday of the Life Assured is 70 years;

whichever is earlier.

Under an inforce base policy, the policyholder has the option to cancel this rider at any time during the policy term. However, once the rider is cancelled, it can't be re-opted during the policy term.

In case the base policy is not inforce, this rider cover shall terminate and no further charges for this rider shall be deducted. However, the rider may be revived along with the base policy during the revival period but not in isolation.

Accident Benefit Charges: This is the charge to cover the cost of LIC's Linked Accidental Death Benefit Rider (if opted for) levied at the beginning of each policy month by cancelling appropriate number of units out of the Policyholder's Fund Value. A level annual charge shall be at the rate of ₹0.40 per thousand Accident Benefit Sum Assured per policy year. If the life assured is engaged in

रु. 0.40 की दर पर भारित होगा. यदि जीवन बीमित व्यक्ति अर्द्धसैनिक बलों के अतिरिक्त किसी पुलिस संगठन में पुलिस ड्यूटी में संबद्ध है और उसके द्वारा पुलिस ड्यूटी में संबद्ध होते हुए इस बीमा–सुरक्षा को चुना जाता है, तो समान वार्षिक शुल्क प्रति पॉलिसी वर्ष प्रति हजार दुर्घटना लाभ बीमाकृत राशि रु. 0.80 की दर पर भारित होगा.

दुर्घटना लाभ बीमा सुरक्षा की अधिकतम संयुक्त सीमा निम्नानुसार होगी:

(ए) रु. 100 लाख की न्यूनतम मूल बीमाकृत राशि वाले एलआईसी के जीवन शिरोमणी के लिए

एक ही जीवन पर व्यक्तिगत पॉलिसियों के साथ ही समूह पॉलिसियों, जिसके लिए अग्रांकित लाभ लागू होंगे, के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ ली गई अंतर्निहित दुर्घटना लाभ वाली पॉलिसियों सहित सभी पॉलिसियों के अंतर्गत बीमा की अधिकतम संयुक्त सीमा किसी भी स्थिति में दुर्घटना लाभ बीमाकृत राशि (एलआईसी के जीवन शिरोमणि सहित) रु. 200 लाख से अधिक नहीं होगी. यदि एक से अधिक पॉलिसियां होंगी और यदि कुल दुर्घटना लाभ बीमाकृत राशि रु. 200 लाख (एलआईसी के जीवन शिरोमणि के अंतर्गत न्यूनतम रु. 100 लाख सहित) से अधिक होगी, तो लाभ जारी की गई पॉलिसियों की तिथि के क्रम में प्रथम रु. 200 लाख दुर्घटना लाभ बीमाकृत राशि पर लागू होंगे.

(बी) अन्य सभी योजनाओं के लिए (एलआईसी के जीवन शिरोमणि को छोड़कर):

एक ही जीवन पर व्यक्तिगत पॉलिसियों के साथ ही समूह पॉलिसियों, जिसके लिए अग्रांकित लाभ लागू होंगे, के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ ली गई अंतर्निहित दुर्घटना लाभ वाली पॉलिसियों सहित सभी पॉलिसियों के अंतर्गत बीमा की अधिकतम संयुक्त सीमा किसी भी स्थिति में दुर्घटना लाभ बीमाकृत राशि रु. 100 लाख से अधिक नहीं होगी. यदि एक से अधिक पॉलिसियां होंगी और यदि कुल दुर्घटना लाभ बीमाकृत राशि रु. 100 लाख से अधिक होगी, तो लाभ जारी की गई पॉलिसियों की तिथि के क्रम में प्रथम रु. 100 लाख दुर्घटना लाभ बीमाकृत राशि पर लागू होंगे.

<u>किसी भी स्थिति में, उपरोक्त (ए) के अंतर्गत ली गई पॉलिसियों सहित किसी व्यक्ति को प्रदान की गई अधिकतम दुर्घटना लाभ बीमा सुरक्षा रु. 200 लाख से अधिक नहीं होगी.</u>

निगम उपर्युक्त अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि जीवन बीमित की मृत्यु :

(i) जानबूझकर स्वयं को चोट पहुंचाने, आत्महत्या के प्रयास, पागलपन या अनैतिकता केकारण या जीवन बीमित के शराब, नशीली दवा या मादक पदार्थ के प्रभाव या उपभोग के अधीन रहने के दौरान होती है; (जब तक कि इलाज के एक हिस्से के रूप में डॉक्टर द्वारा निर्धारित नहीं हो); या

(ii) दंगों, नागरिक उपद्रव, विद्रोह, युद्ध (चाहे युद्ध घोषित हो या न हो), आक्रमण, शिकार, पर्वतारोहण, स्टीपल चेजिंग, किसी प्रकार की दौड़, पैराग्लाइडिंग या पैराशूटिंग में भाग लेने, साहसिक खेलों में भाग लेने के परिणामस्वरूप चोटों के कारण होती है; या

(iii) जीवन बीमित द्वारा आपराधिक इरादे से कानून का उल्लंघन करने के परिणामस्वरूप होती है; या

(iv) (ए) सशस्त्र बलों या सैन्य सेवा में बीमाकृत व्यक्ति के रोजगार से उत्पन्न हो. (चाहे युद्ध घोषित हो या नहीं). यदि जीवन बीमित ड्यूटी पर नहीं रहने के दौरान किसी दुर्घटना का शिकार हो गया था या हमारे देश में प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला करने के दौरान किसी बचाव कार्य में शामिल था तो यह अपवर्जन लागू नहीं होता है.

police duty in any police organization other than paramilitary forces and opted for this cover while engaged in police duty, then the level annual charge shall be at the rate of ₹0.80 per thousand Accident Benefit Sum Assured per policy year.

The maximum aggregate limit of Accident Benefit cover shall be as under:

(A) For LIC's Jeevan Shiromani with minimum Basic Sum Assured of ₹100 lakhs

The maximum aggregate limit of assurance under all policies including policies with in-built Accident Benefit taken with Life Insurance Corporation of India under individual policies as well as group policies on the same life to which following benefits apply shall not in any event exceed ₹200 lakhs of Accident Benefit Sum Assured (including LIC's Jeevan Shiromani). If there be more policies than one and if the total Accident Benefit Sum Assured exceeds ₹200 lakhs (including a minimum of 100 lakhs under LIC's Jeevan Shiromani) the benefits shall apply to the first ₹200 lakhs Accident Benefit Sum Assured in order of date of policies issued.

(B) For all other plans (excluding LIC's Jeevan Shiromani):

The maximum aggregate limit of assurance under all policies including policies with in-built Accident Benefit taken with Life Insurance Corporation of India under individual policies as well as group policies on the same life to which following benefits apply shall not in any event exceed ₹100 lakhs of Accident Benefit Sum Assured. If there be more policies than one and if the total Accident Benefit Sum Assured exceeds ₹100 lakhs, the benefits shall apply to the first ₹100 lakhs Accident Benefit Sum Assured in order of date of policies issued.

<u>In any case, the maximum Accident Benefit cover offered to an individual including the policies taken under (A) above, will not exceed ₹200 lakhs.</u>

The Corporation shall not be liable to pay the additional sum referred above, if the death of the Life Assured shall:

(i) be caused by intentional self injury, attempted suicide, insanity or immorality or whilst the Life Assured is under the influence or consumption of intoxicating liquor, drug or narcotic (unless prescribed by doctor as a part of treatment); or

(ii) be caused by injuries resulting from taking any part in riots, civil commotion, rebellion, war (whether war be declared or not), invasion, hunting, mountaineering, steeple chasing, racing of any kind, paragliding or parachuting, taking part in adventurous sports; or

(iii) result from the Life Assured committing any criminal act with criminal intent; or

(iv) (a) arise from employment of the Life Assured in the armed forces or military service. This exclusion is not applicable if the Life Assured was involved in an accident when he is not on duty or was involved in any rescue operations while combating natural calamities in our country.